न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 136 / 2024 / बाड़मेर

अपीलांटस **रेस्पोडेंटगण**

हरीराम पुत्र भीखाराम जाति विश्नोई निवासी मौखावा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर	1. केली पुत्री भीखाराम 2. सुगणी पुत्री भीखाराम 3. भागीरथराम पुत्र भीखाराम जाति विश्नोई निवासी मौखवा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 4. दिनेश पुत्र हीराराम 5. श्रवणकुमार पुत्र हीराराम 6. विमला पुत्री हीराराम जाति विश्नोई निवासी नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 7. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टैट बैंक शाखा गुड़मालानी 8. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधाकर तहसीलदार गुड़ामालानी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 70 / 2022 (2022 / 200) बअनवान हरिराम बनाम केली वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.08.2024 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

1. वकील श्री मोहनलाल विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री लाधूराम पूनिया रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 27.11.2024

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा मौखावा तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा संख्या 281, 283, 284, 285, 285/5,356 रकबा क्रमशः 9.2268 हैक्टयर, 13.4274 हैक्टयर, 0.1295 हैक्टयर, 11.8168 हैक्टयर, 6.4264 हैक्टयर, 4.5810 हैक्टयर कुल रकबा 45.6079 हैक्टयर संयुक्त खातेदारी में आया हुआ है। जिसमें वादी का 1/5 हिस्सा एवं इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 से 6 का 1/5 हिस्सा विधिनुसार बनता है। आगे यह भी अभिकथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण इसी अनुरूप वादग्रस्त खेतों पर काबिज काश्त चले आ रहे है। परन्तु हिस्से खुले न होने के कारण सेढो बाबत तकाजा रहता है इस कारण हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपीलांटगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट एवं उतरदाता संख्या 1 से 6 पूर्व में हुए बाह्मी बंटवाड़े के अनुसार काबिज थे जिस पर पूर्व में बनाये गये विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15.09.2023 सही था उसी अनुसार

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

ही पक्षकारान काबिज थे लेकिन पुनः मंगवाये गये विभाजन प्रस्ताव में शेष सभी खसरों को तो सही विभाजन प्रस्ताव बनाया लेकिन खसरा संख्या 285 में अपीलांट के कब्जे काश्त में घर के पास उत्तरदाता संख्या 01 से 06 को संयुक्त रूप से रकबा 0.8094 हैक्टयर की भूमि अपीलांट के हिस्से में आने वाली भूमि के बीचो बीच अलग टुकड़ा कर उतरदाता को बीच में स्थापित कर मूल खसरा संख्या 285 में से नवसृजित खसरा संख्या 1300/285 के बीच में 1302/285 रकबा 0.8094 हैक्टयर संयुक्त देकर उतरदातागण को जानबुझकर अपीलांट के खेत में स्थापित किया गया है। जबकि उक्त स्थान पर अपीलांट का ही कब्जा व काश्त है। विभाजन प्रस्ताव बनाते समय तहसीलदार व पटवारी हल्का ने उक्त स्थान पर उतरदाता का कोई चारबाड़ा या घर या कब्जा नहीं बताया फिर भी अपीलांट के खेत के बीच में से उतरदाता संख्या 01 से 06 को संयुक्त रूप से स्थापित कर दिया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलकर्ता की भूमि में से टुकड़ा कर प्लॉट के रूप में उतरदाता को स्थापित करने से नियम विरूद्ध निर्णय पारित हुआ है ऐसी दशा में यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों की घौर अवहैलना कर यह निर्णय जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय जिस विभाजन प्रस्ताव के अनुसार पारित की गई वो मौके पर कब्जा काश्त के विपरित तैयार किया गया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bound सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 12.08.2024 में आंशिक भाग के निर्णय खसरा संख्या 285 में अपीलांट के हिस्से में आई हुई जमीन के नये खसरा संख्या 1300/285 में से एक अलग टुकड़ा खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

संख्या 1302/285 जो उतरदाता संख्या 01 से 06 को संयुक्त रूप से दिया गया है को निरस्त किया जाकर पुनः अपीलकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर देने हेतु पत्रावली रिमाण्ड करने के आदेश प्रदान करावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि सभी पक्षकारों की सहमति से हल्का पटवारी व आर. आई. मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई आपति पेश नहीं की गई। सभी खातेदारों को अपने हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा काश्त अनुसार बराबर बराबर दी गई है किसी भी खातेदार का हिस्सा कम ज्यादा नहीं किया गया। सड़क मार्ग पर भी सभी खातेदारों को भूमि दी गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो गया है। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अतः अपीलांटस की अपील को खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया। अपीलांटस स्वयं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी था। अपीलांटस का वाद ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया जाकर बंटवारा किया गया है। अपीलांटस द्वारा हस्तगत अपील के जरिये एक खसरा संख्या 285 को ही चुनौति

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

दी गई है। जबकि अन्य खसरों में हुए बंटवारा को सही मानता है। विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 285 का बंटवारा मौके पर कब्जा काश्त एवं सड़क को ध्यान में रखते हुए किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अपीलांटस द्वारा प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध अपील पेश नहीं की गई इससे साफ जाहिर होता है कि हिस्सों को लेकर अपीलांटस को कोई आपति नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई उसमें किसी भी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नहीं है क्योंकि सभी पक्षकारों की सहमति से हल्का पटवारी व आर. आई. मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो गया है। अपीलाधीन आराजी का विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वयं द्वारा अपनी उपस्थिति में उभयपक्षकारान की उपस्थिति में तैयार किया गया। उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पूर्ण रूप से पालना की गई है। तत्पश्चात अंतिम डिक्री पारित की गई। अपीलांटस येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते हैः और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे/मार्ग को मद्देनजर रखते हुए बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अपीलांटस की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर वादी/रेस्पोडेंटस को मिले खातेदारी अधिकारों से वंचित रखना

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक तथा मेरी सुविचारित राय में अपीलांट की अपील खारिज योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपीले सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा मातहत अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 70/2022 (2022/200) बअनवान हरिराम बनाम केली वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.08.2024 को यथावत रखा जाता है।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 27.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर